

29/11/18... पीठासीन अधिकारी के आज
मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने
के कारण आज के प्रकरणों में तारीख
की जाती है। मुताबिक आम सूचना के
दिनांक 29.11.18 को पूर्व
पालना में पेश है।

आदेशानुसार
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

24.12.18... पीठासीन अधिकारी के आज
मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने
के कारण आज के प्रकरणों में तारीख
की जाती है। मुताबिक आम सूचना
दिनांक 24.12.18 को पूर्व
पालना में पेश है।

आदेशानुसार
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

8/10/18... पीठासीन अधिकारी के आज
मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने
के कारण आज के प्रकरणों में तारीख
तब्दील की जाती है। मुताबिक आम सूचना
के मिसल दिनांक 8.10.18 को पूर्व
आदेश की पालन में पेश है।

आदेशानुसार
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

27.10.18... पीठासीन अधिकारी के आज
मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने
के कारण आज के प्रकरणों में तारीख
तब्दील की जाती है। मुताबिक आम सूचना
के मिसल दिनांक 27.10.18 को पूर्व
आदेश की पालन में पेश है।

आदेशानुसार
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

8.12.18... पीठासीन अधिकारी के आज
मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने
के कारण आज के प्रकरणों में तारीख
तब्दील की जाती है। मुताबिक आम सूचना
के मिसल दिनांक 8.12.18 को पूर्व
आदेश की पालन में पेश है।

आदेशानुसार
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

12.12.18

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के पेश हुनी। आज, बुधवार
के प्रकरण के तब्यातक रिपोर्ट पेश की जा रहा, पिछले ही
लाप्रीगब न इनका वाप पेश कर निवेदन दिया कि
आज बुधवार के मौसाला ख. नं. 218 (2-30), 219
(33-30), 229 (79-100), 230 (44-50) जिन्हें वंकीर
रावला नेवा 242 (2-30), 241 (33-30), 239 (7-150),
240 (71-120), 244 (37-30), 251 (7-20) बने है

के हाल खतरा नम्बर 311 खरबा 19.51
पर वादीगण के सबूत 70 वर्षों के शोधक
खसम के बाबिज काश्त करने का रहे हैं।

किन्तु राजस्व अधिकारीजी व कर्मचारीजी
ने अपने खेजदिकार से जो जौत हुए उम
आराजी बुद्धिर्ण तरीके से खिवापलक दर्ज का
दी। अतः आराजी खुतनाजा का खेतवा
दोषित किया जावे

राज वैरोकार ने जखब खेजवा निवेदन
किया कि वादगत आराजी खिवापलक हैं।
अतः खेतवारी खदिकार सिा जाना संभव नहीं
है।

बदल उक्तपदा सुनी गयी

पत्रावली का खबलोकन व अनुशीलन
किया सिदान खदिकार वादीगण व राज
वैरोकार की कडा पर पलन किया वादगत
आराजी खेतवाला जमाबंदी, वरिगी जमाबंदी
व हाल राजस्व इमिलेज में खिवापलक दर्ज
है। वादगत आराजी कमी भी वादीगण
अथवा उनके सबूतों से खेतवारी / जेत खेतवारी
से नहीं रही ना ही उन्हे उम्त आवापलक
का आवरेन निपपन हुआ है

वादीगण का कलम है कि वे उम्त
आराजी पर 70 वर्षों के बाबिज काश्त हैं
किन्तु कलम सिद्ध करने के लिये वादीगण-
ने ही खेतवा खरदावरी व खेतवा परेवतगरी
पेश नहीं की है। वादीगण उम्त वाद गज

अखण्ड अधिकारी, नसीराबाद,

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अधिकारी
हुकम का
ने जजा

कानून का अर्थ है शांति पर खतियारी प्राप्त करने के लिये लाने हैं। मिला रूप। कानून किद कानून से वादीगण अलगपन किद हुये हैं पञ्जावली पर उपलक्षण रूपत अधिलेख के वर्तमान इराज सुनिश्चन को किद नहीं होता।

इतः जाम बुगडी के हाल स्वारा नम्बर 211 रकबा 19.41 को शांति पर वादीगण का वाद "स्वारिज" भिजा जाता है पलकार स्वर्ण स्वयं वहन करो इत आशय को पता दिखी जाये है।

पञ्जावली पैपल शुभाल हो न्त्र नम्बर के रूप है व दाखिल करता है।

जाम बुगडी, नसीराबाद

न्यायालय श्रीमान उपस्थ